बाह्य परिपत्र सं. 141 / डॉस – 13 / 2024 30 जुलाई 2024

संदर्भ सं. राबैं. प्रका. डॉस. नीति/ 1370 / जे-1 / 2024-2025

अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्रबंध निदेशक, सभी राज्य सहकारी बैंक
प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

चलनिधि जोखिम प्रबंधन (एल.आर.एम.) पर मार्गदर्शी नोट

किसी बैंकिंग संस्था के संधारणीय व्यवहार्यता हेतु चलनिधि प्रबंधन आवश्यक है, जो उसे बैंकों के महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक बनाता है. चूंकि एक बैंक में चलनिधि में कमी से उसके सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली में व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इसके कारण चलनिधि की महत्ता व्यक्तिशः संस्थाओं से परे है. अतः प्रभावशाली चलनिधि विश्लेषण के तहत यह आवश्यक है कि बैंक प्रबंधन अपनी चलनिधि संबंधी स्थितियों का निरंतर आकलन करे और प्रतिकूल परिस्थितियों सहित विभिन्न परिदृश्यों के तहत संभावित निधीयन आवश्यकताओं का अनुमान लगाए.

2. निरंतर विकसित होती बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र के परिणामस्वरूप पर्यवेक्षी अपेक्षाओं में वृद्धि और हितधारकों द्वारा गहनता से जांच के कारण सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन की महत्ता तीव्र गति से बढ़ रही है. एनहैन्स्ड कैमलएससी-आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण, जो कि बैंकों में एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की मांग करता है, के परिचय के साथ हमारी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को सहायता प्रदान करने हेतु चलनिधि जोखिम प्रबंधन (एल.आर.एम.) पर एक मार्गदर्शी नोट तैयार किया गया है. यह मार्गदर्शी नोट चलनिधि जोखिम अभिशासन, मापन, अनुप्रवर्तन, और चलनिधि संबंधी

स्थितियों पर नाबार्ड को रिपोर्ट करने हेतु स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और साथ ही चलनिधि जोखिमों के शमन हेतु रणनीतियाँ प्रदान करता है.

3. प्रभावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन बैंक के आकार, प्रकृति और जटिलता के आधार पर भिन्न होता है, परंतु उसमें सुदृढ़ प्रबंधन सूचना प्रणालियाँ, विभिन्न परिदृश्यों में निवल निधीयन आवश्यकताओं का आकलन, निधीयन स्रोतों का विविधिकरण, और व्यापक आकस्मिकता आयोजना शामिल होनी चाहिए. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित करती है.

4. यह मार्गदर्शी नोट बाध्यताओं को त्वरित रूप से निपटाने, सुदृढ़ संगठनात्मक और अभिशासन संरचनाओं, नामतः निदेशक मंडल, जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.), आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (आल्को), और एएलएम सहयोग समूह, के माध्यम से जोखिम के न्यूनीकरण हेतु चलनिधि के प्रबंधन की महत्ता पर भी ज़ोर देता है.

5. यह मार्गदर्शी नोट इस बात पर ज़ोर देता है कि पर्यवेक्षी संस्थाओं को अपनी चलनिधि जोखिम सहिष्णुता, निधीयन रणनीतियों, और विवेकपूर्ण सीमाओं को परिभाषित करना चाहिए, और चलनिधि के मापन, मूल्यांकन, और उसे नियमित रूप से रिपोर्ट करने हेतु एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए. विभिन्न परिकल्पित परिदृश्यों के तहत दबाव परीक्षण आयोजित किए जाने चाहिए, और एक औपचारिक आकस्मिक निधीयन आयोजना विकसित की जानी चाहिए और उसका रखरखाव किया जाना चाहिए. बोर्ड या एक प्राधिकृत समिति इन नीतियों और प्रथाओं का अनुप्रवर्तन करेगी और इनकी वार्षिक समीक्षा करेगी.

6. मार्गदर्शी नोट में इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया है कि पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा एक आकस्मिक निधीयन आयोजना (सी.एफ़.पी.) तैयार की जानी चाहिए जो आपातकालीन स्थिति के दौरान चलनिधि में कमी पर ध्यान देने के लिए रणनीतियाँ रेखांकित करे, और जिसमें विविध निधीयन उपायों का विवरण हो. बैंकों द्वारा एक विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) स्थापित की जानी चाहिए जिससे बोर्ड और आल्को को सामयिक चलनिधि अंतर्दृष्टियाँ प्रदान की जा सके, जिसमे चलनिधि जोखिम

के सभी प्रकारों को कवर किया जाए, जिससे दबावग्रस्त अवधियों के दौरान विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सके. चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का नियमित परीक्षण और आकलन विनियामक निदेश और आंतरिक नीतियों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए, जिससे महत्वपूर्ण विषयों पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके.

7. हमें प्रसन्नता होगी यदि आप इस परिपत्र की प्रति आपके बैंक के निदेशक मंडल की अगली बैठक में रखेंगे, जिससे आपके बैंक द्वारा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर उचित निर्णय लिया जा सके. सहायक संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक **31 मार्च 2025** तक मार्गदर्शन नोट में संदर्भित चलनिधि प्रबंधन नीतियाँ और संबंधित फ्रेमवर्क को कार्यान्वित करने हेतु उचित तंत्र की स्थापना करें.

8. कृपया अपने राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें.

भवदीय

ह/-

(सुधीर कुमार रॉय)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न: मार्गदर्शी नोट

चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट

विषय-वस्तु

1. परिचय 1

2. चलनिधि प्रबंधन के लिए अभिशासन संरचना 4

3. चलनिधि जोखिम का प्रबंधन 7

4. अनुप्रवर्तन /निगरानी 11

5. तुलन-पत्र से इतर के एक्सपोज़र और आकस्मिक देयताएँ 12

6. संपार्श्विक स्थिति प्रबंधन 12

7. इंट्रा-डे पोजीशन का प्रबंधन 13

8. वित्तपोषण की रणनीति 13

9. दबाव परीक्षण 14

10. आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफ़पी) 16

11. प्रबंधन सूचना प्रणाली 17

12. आंतरिक जाँच और नियंत्रण 18

1. परिचय

चलनिधि से तात्पर्य परिसंपत्ति संवृद्धि को वित्तपोषण प्रदान करने से है ताकि प्रत्याशित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों, दोनों को तुरंत पूरा किया जा सके तथा अस्वीकार्य हानियों से बचा जा सके. प्रभावी चलनिधि प्रबंधन में सांविधिक आवश्यकताओं को बनाए रखना, संविदात्मक और परिपक्व नकदी बहिर्वाह को पूरा करना और रणनीतिक रूप से अधिशेष नकदी का निवेश करना आदि शामिल होता है. दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता से उत्पन्न चलनिधि जोखिम, बैंक की वित्तीय स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है. अंततः विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके प्रभाव वैयक्तिक संस्थानों से परे हैं तथा बैंकों के परस्पर जुड़े रहने के कारण एक बैंक में चलनिधि की कमी के अनपेक्षित परिणाम संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में उत्पन्न हो सकते हैं.

1.2. बैंकों के लिए चलनिधि जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण उत्पन्न होता है:

निधीयन चलनिधि जोखिम – अपेक्षित और अप्रत्याशित नकदी प्रवाह और संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने में बैंक की असमर्थता जो या तो बैंक के दैनिक परिचालन या इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है.

बाजार चलनिधि जोखिम – अपर्याप्त मार्केट डेप्थ या व्यवधानों के कारण वर्तमान बाजार मूल्य पर किसी स्थिति को जल्दी से ऑफसेट या समाप्त करने में बैंक की असमर्थता.

1.3. चलनिधि जोखिम प्रबंधन का परिष्करण बैंक के आकार, प्रकृति और परिचालन जटिलता के आधार पर भिन्न हो सकता है. इन कारकों के बावजूद, प्रभावी चलनिधि प्रबंधन के आवश्यक तत्वों में मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली, विभिन्न परिदृश्यों में निवल वित्त पोषण आवश्यकताओं का आकलन, वित्तपोषण माध्यमों का विविधीकरण और व्यापक आकस्मिक योजना शामिल होते हैं. बैंकों द्वारा उनके चलनिधि जोखिम प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा रेखांकित बैंकों द्वारा सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन के व्यापक सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

चलनिधि जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए आधारभूत सिद्धांत	
सिद्धांत 1	बैंक चलनिधि जोखिम के सुदृढ़ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे. बैंक को एक मजबूत चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करता हो कि वह पर्याप्त चलनिधि बनाए रखता है, जिसमें दायित्वमुक्त आरक्षित परिसंपत्तियाँ, उच्च गुणवत्तायुक्त अर्थसुलभ परिसंपत्तियाँ हों, असुरक्षित और सुरक्षित दोनों निधीयन स्रोतों के नुकसान या हानि शामिल करने वाली विभिन्न दबावपूर्ण परिस्थितियों में डटे रहने की क्षमता हो. पर्यवेक्षकों को बैंक के चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और इसकी चलनिधि स्थिति दोनो क्षेत्रों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना चाहिए और यदि किसी भी क्षेत्र के संबंध में बैंक में कमी हो, तो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय प्रणाली को संभावित नुकसान से बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.
चलनिधि जोखिम प्रबंधन का अभिशासन	
सिद्धांत 2	बैंक को चलनिधि जोखिम सह्यता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए जो उसकी व्यापार रणनीति और उसकी वित्तीय प्रणाली में उसकी भूमिका के लिए उपयुक्त हो.
सिद्धांत 3	वरिष्ठ प्रबंधन को चलनिधि जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक रणनीति, नीतियाँ और प्रथाएँ विकसित करनी चाहिए जो जोखिम सह्यता के अनुसार हों और यह सुनिश्चित करें कि बैंक पर्याप्त चलनिधि बनाए रखता है. वरिष्ठ प्रबंधन को, बैंक की चलनिधि की वस्तुस्थिति की निरंतर समीक्षा करनी चाहिए और इसकी सूचना नियमित आधार पर निदेशक मंडल को देनी चाहिए. बैंक के निदेशक मंडल को कम से कम वार्षिक रूप से चलनिधि प्रबंधन से संबंधित रणनीति, नीतियों और प्रथाओं की समीक्षा तथा अनुमोदन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वरिष्ठ प्रबंधन चलनिधि जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर रहा है.
सिद्धांत 4	बैंक को आंतरिक मूल्य निर्धारण, कार्यप्रदर्शन मापदंड और नए उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया में चलनिधि से जुड़ी लागत, लाभ और जोखिमों को शामिल करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधि (तुलन-पत्र में आने वाली या तुलन-पत्र में न आने वाली दोनों) के लिए जोखिम उठाने के विचार, इन गतिविधियों द्वारा उत्पन्न संपूर्ण बैंक हेतु चलनिधि जोखिम एक्सपोज़र के साथ मेल खाते हैं.
चलनिधि जोखिम का मापन और प्रबंधन	
सिद्धांत 5	बैंक के पास चलनिधि जोखिम की पहचान, मापन, अनुप्रवर्तन और नियंत्रण के लिए एक सुदृढ़ प्रक्रिया होनी चाहिए. इस प्रक्रिया में एक मजबूत फ्रेमवर्क होना चाहिए जो विभिन्न

	उपयुक्त समयावधियों में परिसंपत्तियों, देयताओं और तुलन-पत्र में न आने वाली मदों से उत्पन्न नकदी प्रवाह का व्यापक रूप से अनुमान लगा सके.
सिद्धांत 6	बैंक को चलनिधि के अंतरण संबंधी विधिक, विनियामक और परिचालन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए चलनिधि जोखिम एक्सोपज़र तथा बैंक और उसकी विभिन्न विधिक संस्थाओं, व्यावसायिक गतिविधियों और मुद्राओं में निधीयन की आवश्यकताओं की निगरानी और नियंत्रण सक्रिय रूप से करना चाहिए.
सिद्धांत 7	बैंक को ऐसी निधीयन रणनीति स्थापित करनी चाहिए जो निधीयन के स्रोतों और समयावधि के संदर्भ में प्रभावी विविधीकरण प्रदान करे. उसे अपने चुने हुए निधीयन बाजारों में एक निरंतर उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए और निधि प्रदाताओं के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने चाहिए ताकि निधीयन स्रोतों के प्रभावी विविधीकरण को बढ़ावा मिल सके. बैंक को नियमित रूप से यह आकलन करना चाहिए कि वह प्रत्येक स्रोत से कितनी जल्दी धनराशि जुटा सकता है. उसे उन मुख्य कारकों की पहचान करनी चाहिए जो उसकी धनराशि जुटाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए उन कारकों की निगरानी करनी चाहिए कि धनराशि जुटाने की क्षमता के संबंध में बैंक का अनुमान वैध बना रहे.
सिद्धांत 8	बैंक को अपनी अंतर्दिवसीय चलनिधि स्थितियों और जोखिमों का सक्रिय प्रबंधन करना चाहिए ताकि भुगतान और निपटान दायित्वों को सामान्य और दबावपूर्ण दोनों परिस्थितियों में समय पर पूरा किया जा सके और इस प्रकार भुगतान और निपटान प्रणालियों के सुचारू संचालन किया जा सके.
सिद्धांत 9	बैंक को अपनी संपार्श्विक स्थितियों का सक्रिय प्रबंधन करना चाहिए, जिसमें भारग्रस्त और भार-रहित परिसंपत्तियों के बीच अंतर करना शामिल है. बैंक को उस अधिकृत इकाई और भौतिक स्थान की निगरानी करनी चाहिए जहां संपार्श्विक को रखा गया है और संपार्श्विक को समय पर कैसे जुटाया जा सकता है.
सिद्धांत 10	बैंक को संस्थान-विशिष्ट और बाजार-व्यापी दबाव के संबंध में विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दबाव परिदृश्यों (अलग-अलग और साथ में) के लिए नियमित रूप से दबाव परीक्षण करना चाहिए ताकि संभावित चलनिधि दबाव के स्रोतों की पहचान की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्तमान जोखिम बैंक की स्थापित चलनिधि जोखिम सहनशीलता के अनुरूप बना रहे. बैंक को दबाव परीक्षण के परिणाम प्रेक्षण से अपनी चलनिधि जोखिम प्रबंधन रणनीतियों, नीतियों और स्थितियों

	को समायोजित करना चाहिए और आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रभावी योजनाएँ विकसित करनी चाहिए.
सिद्धांत 11	बैंक के पास एक औपचारिक आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफ़पी) होनी चाहिए जो आपातकालीन स्थितियों में चलनिधि की कमी को दूर करने की रणनीतियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती हो. एक सीएफ़पी में विभिन्न दबाव परिस्थितियों का प्रबंधन करने के लिए नीतियों का विवरण होना चाहिए, उसे जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए, उसमें प्रवर्तन संबंधी स्पष्टता और विस्तार संबंधी क्रियाविधि को शामिल करना चाहिए तथा इस योजना का नियमित रूप से परीक्षण और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके यह परिचालनात्मक दृष्टि से सुदृढ़ है.
सिद्धांत 12	बैंक को उच्च गुणवत्ता वाली भार-रहित चल परिसंपत्तियों का एक सुरक्षा भंडार (कुशन) बनाए रखना चाहिए ताकि इसे विभिन्न चलनिधि दबाव परिदृश्यों के विरुद्ध बीमा के रूप में रखा जा सके, जिसमें असुरक्षित और सामान्यतः उपलब्ध सुरक्षित निधीयन स्रोतों का नुकसान या हानि भी शामिल है. इन परिसंपत्तियों का उपयोग करके निधि प्राप्त करने में कोई कानूनी, विनियामक या परिचालनात्मक बाधा नहीं होनी चाहिए.
सार्वजनिक प्रकटीकरण	
सिद्धांत 13	बैंक को नियमित रूप से ऐसी जानकारी का सार्वजनिक प्रकटीकरण करना चाहिए जिससे बाजार के सहभागी उसके चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे और चलनिधि स्थिति की सुदृढ़ता के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें.

2. चलनिधि प्रबंधन के लिए अभिशासन संरचना

2.1. चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना में आमतौर पर एक वित्तीय संस्था के भीतर निर्दिष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ शामिल होती हैं ताकि चलनिधि जोखिमों की प्रभावी निगरानी, आकलन और शमन किया जा सके. इस संरचना में अक्सर एक समर्पित चलनिधि जोखिम प्रबंधन टीम या विभाग शामिल होता है जो चलनिधि जोखिम नीतियों और रणनीतियों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है.

2.2. चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना निम्नलिखित है:

- निदेश मंडल (बीओडी)
- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

- परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को)
- परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) सहायता समूह

2.3. **निदेशक मंडल (बीओडी)** बैंक के भीतर चलनिधि जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी वहन करता है. उनकी भूमिका में बैंक की कार्यनीति, नीतियों और प्रक्रियाओं तैयार करना शामिल है ताकि चलनिधि जोखिम को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके और इसे परिच्छेद 2.10 में निर्दिष्ट जोखिम सह्यता और उल्लिखित सीमाओं के साथ संरेखित किया जा सके. इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल को बैंक के चलनिधि जोखिम की प्रकृति को पूरी तरह से समझना चाहिए, जिसमें इसकी शाखाओं, सहायक संस्थाओं और अन्य इकाइयों की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल शामिल हैं. जोखिम की निरंतर निगरानी और शमन के लिए संबंधित जानकारी की नियमित समीक्षा आवश्यक है. इसके अलावा, निदेशक मंडल, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रबंधन अपनी चलनिधि जोखिम को पहचानने, मापने, निगरानी करने के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यपालक-स्तरीय प्राधिकार और उत्तरदायित्व स्थापित करता है. अंत में, निदेशक मंडल बैंक की आकस्मिक निधीयन योजना को तैयार करने और उसकी समीक्षा करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है.

2.4. **जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)**, जो सीधे निदेशक मंडल को रिपोर्ट करती है, में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)/ अध्यक्ष और ऋण, बाजार, और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए उत्तरदायी प्रमुख शामिल होते हैं. उनका मुख्य उत्तरदायित्व बैंक को प्रभावित करने वाले समग्र जोखिमों, जिसमें चलनिधि जोखिम भी शामिल है, का आकलन करना है. इसके अलावा, समिति को जोखिम प्रबंधन मामलों का निपटान करते समय चलनिधि जोखिम और अन्य जोखिमों के संभावित पारस्परिक प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए.

2.5. **परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को)** का नेतृत्व सीईओ/अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए ताकि शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता और तेजी से बदलते निधीयन गतिशीलता के प्रति समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके. निवेश, ऋण, संसाधन प्रबंधन या योजना, निधि प्रबंधन/ट्रेजरी के प्रमुख, समिति के सदस्य हो सकते हैं. इसके अलावा, यदि समिति उपयुक्त समझे तो विशेष आमंत्रित सदस्य भी आल्को का हिस्सा हो सकते हैं; उदाहरण के लिए, एमआईएस के निर्माण और संबंधित कम्प्यूटरीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख की आल्को में भागीदारी आवश्यक हो जाती है. आल्को का आकार, बैंक के आकार, व्यवसाय संरचना और संगठनात्मक जटिलता पर निर्भर करेगा.

2.6. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) की जिम्मदारियों में शामिल हैं:

- निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित जोखिम सह्यता/सीमाओं का पालन सुनिश्चित करना.
- बैंक की चलनिधि जोखिम प्रबंधन रणनीति को लागू करना, इस रणनीति को बैंक के परिभाषित जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों और जोखिम सह्यता के साथ संरेखित करना.
- वांछित परिपक्वता प्रोफाइल और परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संयोजन पर निर्णय लेना.
- देयताओं के स्रोत और संयोजन या परिसंपत्तियों के विक्रय पर निर्णय लेना. आल्को को बैंक की परिसंपत्तियों और निधि स्रोतों की संरचना, विशेषताओं और विविधता के बारे में जानकारी होनी चाहिए तथा आंतरिक या बाहरी परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के अनुसार निधीयन रणनीति की नियमित समीक्षा करनी चाहिए.
- नकदी प्रवाह अनुमानों और उपयोग की गई धारणाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करना.
- धारणाओं साथ ही दबाव परीक्षणों के परिणामों को शामिल करते हुए दबाव परीक्षण परिदृश्यों की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि एक उचित रूप से प्रलेखित आकस्मिक निधीयन योजना लागू हो, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती हो.
- बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफ़ाइल पर निदेशक मंडल को नियमित रूप से रिपोर्ट करना.

2.7: **एएलएम सहायता समूह** को बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल का विश्लेषण और निगरानी करनी चाहिए तथा आल्को को इस प्रोफाइल की सूचना प्रदान करनी चाहिए. इसके अलावा उन्हें बाजार स्थितियों में संभावित परिवर्तनों और इनका बैंक की चलनिधि पर प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले प्रक्षेपण/ पूर्वानुमान तैयार करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए. उन्हें बैंक की चलनिधि को बनाए रखने या आंतरिक सीमाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव भी देना चाहिए.

2.8 **चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति, रणनीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ:** चलनिधि प्रबंधन में पहला कदम है- एक मजबूत चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति स्थापित करना. इस नीति में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातों को परिभाषित करना चाहिए:

- चलनिधि जोखिम हेतु संस्था की सह्यता
- निधीयन रणनीतियों और विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण
- चलनिधि के मापन, मूल्यांकन और नियमित रिपोर्टिंग/ समीक्षा हेतु कार्यप्रणाली की स्थापना.
- दबाव परीक्षण करने हेतु फ्रेमवर्क, विभिन्न काल्पनिक परिदृश्यों के तहत चलनिधि हेतु योजना
- औपचारिक आकस्मिक निधीयन योजना बनाना

- प्रबंधन रिपोर्टों की प्रकृति और नियमितता और चलनिधि पूर्वानुमान में प्रयोग की जाने वाली धारणाओं का अनिवार्य आवधिक पुनर्मूल्यांकन

2.9 निदेशक मंडल या निदेशक मंडल के सदस्यों की समिति को नीतियों, रणनीतियों और कार्यप्रणालियों की स्थापना और अनुमोदन पर निगरानी रखनी चाहिए, और इनकी समीक्षा कम से कम वार्षिक आधार पर करनी चाहिए ताकि चलनिधि जोखिम का प्रबंधन किया जा सके.

2.10 **चलनिधि जोखिम सह्यता**: बैंकों को उनके निदेशक मंडल द्वारा परिभाषित और बैंक की वित्तीय स्थिति और निधीयन क्षमता के साथ संरेखित एक स्पष्ट चलनिधि जोखिम सह्यता निर्धारित करनी चाहिए. इससे चलनिधि को सामान्य और दबावपूर्ण स्थिति में प्रभावशाली रूप से प्रबंधित किया जा सकता है. जोखिम सह्यता को सुस्पष्ट, व्यापक होना चाहिए जो कि बैंक की जटिलता, व्यवसाय संरचना और जोखिम प्रोफाइल के अनुकूल हो. यह परिपक्वता स्तर और विभिन्न अनुपातों का प्रयोग करके परिभाषित की जा सके तथा केंद्रीय बैंक या सरकार की सहायता के बिना न्यूनतम अवधि में आपात स्थिति से उबर सके. निदेशक मंडल को आवधिक आधार पर मुख्य पूर्वानुमानों की समीक्षा करनी चाहिए.

2.11 बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चलनिधि जोखिम प्रंबधन की रणनीति उनके कार्यों की प्रकृति, पैमाने और जटिलता के अनुरूप हो. बैंकों को चलनिधि जोखिम प्रबंधन करते समय कानूनी ढाँचे, प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों, बाजार विविधता, उत्पाद पेशकशें, और विनियामक आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखना चाहिए. इसके अतिरिक्त, उन्हें दैनिक परिचालन हेतु नकदी प्रवाह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राथमिक निधीयन स्रोतों की पहचान करनी चाहिए और अपेक्षित और अनपेक्षित नकदी प्रवाह में उत्पन्न भिन्नताओं का भी हिसाब रखना चाहिए.

3. चलनिधि जोखिम का प्रबंधन

बैंकों को चलनिधि जोखिम की पहचान, निगरानी और शमन हेतु एक सुदृढ़ प्रक्रिया को कार्यान्वित करना चाहिए. जोखिम प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है:

3.1 **पहचान**: बैंको को तुलन-पत्र वाली और तुलन-पत्र से इतर, बैंक के संसाधनों और निधि के उपयोग को प्रभावित करने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण मदों में स्थित चलनिधि जोखिम का विश्लेषण करना चाहिए, उन्हें परिभाषित करना चाहिए और उनकी पहचान करनी चाहिए. बैंक की चलनिधि आवश्यकताएँ और इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उपलब्ध चलनिधि के स्रोत बैंक के व्यवसाय और उत्पाद के विभिन्न प्रकारों, तुलन-पत्र संरचना, बैंक की तुलन-पत्र वाली तथा तुलन-पत्र से इतर मदों की नकदी प्रवाह प्रोफाइल पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करते हैं.

3.2 **चलनिधि जोखिम का मापन**: बैंकों के प्रभावशाली परिचालन हेतु चलनिधि का मापन और प्रबंधन महत्वपूर्ण है. चलनिधि मापन में बैंक के नकदी के अंतर्वाह के समक्ष बहिर्वाह और परिसंपत्ति की तरलता का आलकन होता है ताकि निधीयन में आई कमी की पहचान की जा सके. प्रवाभी चलनिधि प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी देयताओं, और प्रतिकूल परिस्थितियों के जोखिम को कम कर सके. सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढाँचे को परिसंपत्ति-देयता आधार, जमाराशियों की स्थिरता, नकदी प्रवाह की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति और विनियामक अपेक्षाओं का वास्तविक अवधारणा के आधार पर सक्रिय नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान प्रदान करने चाहिए. यह सह्यता स्तर और विवेकपूर्ण सीमाएँ को निर्धारित करने में सहायता करता है. बैंकों को अपनी चलनिधि स्थितियों की निगरानी और स्टॉक तथा प्रवाह दृष्टिकोणों का प्रयोग करके विभिन्न परिदृश्यों में भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन निरंतर रूप से करना चाहिए.

3.2.1 **प्रवाह दृष्टिकोण:** प्रवाह दृष्टिकोण मापन के अंतर्गत नकदी प्रवाह में बेमेलता पर व्यापक निगरानी रखना शामिल होता है. निवल निधीयन आवश्यकताओं का मापन और प्रबंध करने हेतु बैंकों को नाबार्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश अपनाने चाहिए, ये दिशानिर्देश हैं- परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के तहत संरचनात्मक चलनिधि का विवरण (एसएसएल). यह विवरण विभिन्न समयाँतरालों में नकदी प्रवाह में बेमेलता के मापन में सहायता करता है. नकदी प्रवाह इन समयाँतरालों में उनकी शेष परिपक्वता या परिसंपत्तियों के भविष्य की अनुमानित स्थिति, देयता और तुलन-पत्र से इतर की मदों के आधार पर वर्गीकृत किया जाते हैं. प्रत्येक समय-अवधि में नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह के बीच का अंतर समय के विभिन्न क्षणों पर बैंक की भविष्य में चलनिधि अधिशेष या घाटे का आकलन करने हेतु शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है. हालाँकि एक वर्ष तक की बेमेलता संगत होगी क्योंकि यह निकटतम चलनिधि समस्याओं के पूर्व चेतावनी संकेत प्रदान करती हैं, मुख्यतः अल्पकालिक बेमेलताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जैसे कि 1-14 दिन और 15-28 दिन. बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संचयी बेमेलताओं (कुल योग) की सभी समयावधियों में निगरानी रखें और निदेशक मंडल/प्रबंधन समिति की स्वीकृति से आंतरिक विवेकपूर्ण सीमाएँ स्थापित करें. सामान्य स्थिति में, 1-14 दिन और 15-28 दिन के लिए बेमेलता (नकारात्मक अंतर) प्रत्येक समयावधि में नकदी बहिर्वाह के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए. निकट अवधि की समयावधियों (28 दिनों तक) में नकदी प्रवाह बेमेलताओं के संदर्भ में, बैंक के प्रबंधन द्वारा इन बेमेलताओं को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए.

3.2.2 बैंकों को तुलन-पत्र और तुलन-पत्र से इतर मदों के विभिन्न घटकों की व्यवहारिक परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन करना चाहिए. बैंक को विभिन्न "क्या हो अगर" परिदृश्यों का निर्धारण करना

चाहिए, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक चलनिधि परिवर्तनों का समावेश हो, जो आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों से प्रकट हो सकते हैं. यह अवधारणाओं और बैंक की समय श्रृंखला डेटा द्वारा समर्थित प्रवृत्ति विश्लेषण पर आधारित होता है. उदाहरण के लिए, परिपक्व हो रही परिसंपत्तियों और देयताओं का वह अनुपात जिसे बैंक या तो पुनर्निवेशित कर सकता है या नवीनीकृत कर सकता है, बिना स्पष्ट परिपक्वता तिथियों वाली परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति, साथ ही तुलन-पत्र से इतर गतिविधियों से संभावित नकदी प्रवाह (जैसे ऋण प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत निकासी, आकस्मिक देयताएँ, और बाजार-संबंधी लेन-देन). इस व्यवहारिक विश्लेषण में उपयोग की गई अवधारणाओं को मान्य करने के लिए, बैंकों को कम से कम प्रत्येक छह महीने में विचलन का विश्लेषण करना चाहिए और इन अवधारणाओं को भविष्य में तुलन-पत्र और तुलन-पत्र से इतर मदों की भविष्य की स्थितियों का सटीक आकलन को परिष्कृत किया जाना चाहिए. नकदी प्रवाह प्रक्षेपण में अवधारणाएँ महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें दस्तावेज़ीकृत किया जाना चाहिए और निदेशक मंडल/ जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष पारदर्शी रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए.

3.2.3 **स्टॉक दृष्टिकोण**: स्टॉक अनुपात स्वतंत्र बैंक स्तर पर चलनिधि जोखिम की निगरानी के लिए आवश्यक टूल के रूप में कार्य करता है. बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी से इन अनुपातों को ट्रैक करने के लिए आंतरिक सीमाएँ तय कर सकते हैं. इस उद्योग से संबंधित औसत एक संदर्भ प्रदान करते है तथापि, बैंकों को अपनी चलनिधि जोखिम प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर अपनी सीमा निर्धारित करने की स्वतन्त्रता है. बैंकिंग प्रणाली के 4 या 5 वर्षों के औसत पर उद्योग का औसत आधारित हो सकता है. निदर्शी उद्देश्य के लिए विभिन्न अनुपात निम्नानुसार है:

क्रम संख्या.	अनुपात	अर्थ/ महत्ता	उद्योग औसत (%में)
1	(अस्थिर देयताएँ[2] – अस्थायी परिसंपत्तियाँ[3])/ (अर्जित परिसंपत्तियाँ[4]- अस्थायी परिसंपत्तियाँ)	यह अनुपात यह मापता है कि किस स्तर तक अस्थिर निधि बैंक की मूल अर्जित परिसंपत्तियों को सहायता प्रदान करता है. चूँकि अनुपात का अंश अल्पावधि, ब्याज संवेदनशील निधियों को दर्शाता है, अतः उच्च और सकारात्मक संख्या, अतरलता का कुछ जोखिम दर्शाती है.	<40

2	कोर जमा[5]/ कुल परिसंपत्तियाँ	यह अनुपात स्थिर जमा के आधार के माध्यम परिसंपत्तियों को किस स्तर तक वित्तपोषित किया जा सकता है यह दर्शाता है.	>50
3	(ऋण + अनिवार्य एसएलआर + अनिवार्य सीआरआर + अचल परिसंपत्तियाँ)/कुल परिसंपत्तियाँ	अनिवार्य नकदी भंडार और सांविधिक चलनिधि निवेश सहित ऋण कम से कम तरल होते हैं और इसलिए एक उच्च अनुपात तुलन-पत्र में अंतर्निहित 'अतरलता' की डिग्री को दर्शाता है.	<80
4	ऋण + अनिवार्य एसएलआर + अनिवार्य सीआरआर + अचल परिसंपत्तियाँ) / मुख्य जमा	यह अनुपात मापता है कि किस सीमा तक परिसंपत्तियों को स्थिर जमा आधार के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है.	<150
5	अस्थाई परिसंपत्तियाँ/ कुल परिसंपत्तियाँ	यह अनुपात उपलब्ध तरल परिसंपत्तियों की सीमा को मापता है. उच्च अनुपात चलनिधि रखने की अवसर लागत के संदर्भ में बैंकिंग प्रणाली के परिसंपत्तियों के उपयोग पर प्रभाव डाल सकता है.	<40
6	अस्थाई परिसंपत्तियाँ/ अस्थिर देयताएँ	यह अनुपात देयताओं के सापेक्ष चलनिधि निवेश को मापता है. 1 से कम का अनुपात चलनिधि की समस्या की संभावना को दर्शाता है.	>60
7	अस्थिर देयताएँ / कुल परिसंपत्तियाँ	यह अनुपात यह मापता है कि अस्थिर देयताएँ तुलन-पत्र को किस स्तर तक निधि प्रदान करती है.	<60

[2] **अस्थिर देयताएँ**: (जमा + उधार और 1 वर्ष तक देय बिल). ऋण पत्र - पूर्ण बकाया. अन्य आकस्मिक ऋण और प्रतिबद्धताओं का घटक-वार सीसीएफ़. एक वर्ष में किए गए फंड स्वैप (बेचे हुए/ खरीदे हुए). बैंकों द्वारा एक वर्ष के भीतर देय के रूप में चालू जमा (सीए) और बचत जमा (एसए) अर्थात् (सीएएसए) जमाओं को अस्थिर देयताओं के तहत शामिल किया जाता है. उधारी में भारतीय रिजर्व बैंक, कॉल, अन्य संस्थानों और पुनर्वित्त से लिया गया उधार शामिल हैं.

[3] **अस्थायी परिसंपत्तियाँ** = नकद + भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त सीआरआर शेष + बैंकों के पास शेष राशि + 1 वर्ष तक खरीदे गए/ भुनाए गए बिल + एक वर्ष का निवेश + एक वर्ष के फंड (बिक्री/खरीद) स्वैप शामिल है.

[4] **अर्जन करने वाली/ परिसंपत्तियाँ** = कुल परिसंपत्तियाँ – (अचल परिसंपत्तियाँ + अन्य बैंकों के साथ चालू खातों में शेष + पटटे को छोड़कर अन्य आस्तियाँ + अमूर्त आस्तियाँ)

[5] **कोर जमा** = 1 वर्ष से अधिक की सभी जमाएँ (*कासा* सहित) (जैसा कि संरचनात्मक चलनिधि विवरण में रिपोर्ट किया गया है) + निवल संपत्ति

3.2.4 बैंक अपनी क्षमता और प्रकृति के अनुसार अन्य मापों/ अनुपातों का भी उपयोग कर सकता है. उदाहरण के लिए, 'चल परिसंपत्तियाँ / जमा' - जो जमाराशियों के बहिर्वाह (बेंचमार्क>5%) की निगरानी के लिए उपलब्ध चल परिसंपत्तियों की सीमा को मापता है या 'चल परिसंपत्तियाँ / निकट अल्पावधि देयताएँ' - जो अगले 30 दिनों में बहिर्वाह (बेंचमार्क >100%) का ध्यान रखने के लिए उपलब्ध चल परिसंपत्तियों की सीमा को मापता है या 'दीर्घावधि देयताएँ / दीर्घावधि परिसंपत्तियाँ'- जो यह इंगित करता है कि दीर्घावधि वित्तपोषण अधिकतर दीर्घावधि संसाधनों (बेंचमार्क >70%) आदि से किया जाता है.

4. अनुप्रवर्तन /निगरानी

4.1 एक वर्ष के लिए संरचनात्मक चलनिधि विवरण में विसंगतियाँ प्राप्त होना स्वाभाविक है क्योंकि वे संभावित चलनिधि मुद्दों के प्रारम्भिक संकेत प्रदान करते हैं. तथापि, अल्पकालिक विसंगतियों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, विशेष रूपसे 28 दिनों की अवधि के भीतर वाली विसंगतियों पर. इसके बाद 2-7 दिन, 8-14 दिन और 15-28 दिन की समयावधि के दौरान संरचनात्मक चलनिधि विवरण में निवल संचयी में नकारात्मक बेमेलता संबंधित समयावधि में संचयी नकदी बहिर्वाह के 5%, 10%, 15%, 20% से अधिक नहीं होना चाहिए. अन्य समयावधि के संबंध में, वरिष्ठ प्रबंधन बैंकों की चलनिधि को प्रभावित करने वाले कारक जैसे आकार, प्रकृति और अन्य कारकों के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाओं पर निर्णय ले सकता है. यह माना जाता है कि निदेशक मंडल या जोखिम प्रबंधन समिति के अनुमोदन के अधीन बैंक अपनी आंतरिक विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित करते हुए, सभी अवधियों में अपनी समग्र विसंगतियों को ट्रेक करेंगे.

4.2 **सक्रिय चलनिधि मूल्यांक**: बैंकों को 1-90 दिनों की अवधि में सक्रियता के आधार पर अपनी अल्पावधि चलनिधि की अनुप्रवर्तन/निगरानी प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए बैंक योजना तैयार करने के उद्देश्यों के लिए व्यावसायिक प्रक्षेपणों और अन्य प्रतिबद्धताओं के आधार पर अपनी अल्पावधि चलनिधि प्रोफ़ाइल का अनुमान लगा सकते हैं. प्रक्षेपित नकदी प्रवाह व्यवसाय के पूर्वानुमान और अवधारणाओं पर आधारित हो सकता है. इन प्रक्षेपणों में व्यवसाय वृद्धि, व्यय, पूँजीगत व्यय, कार्यशील पूँजी में परिवर्तन, विनियामक अपेक्षाएँ, बाजार कारक, जमा/ऋण का पैटर्न, नई ऋण मांगों को पूरा करने के लिए संभावित चलनिधि आवश्यकताएँ, प्राप्त न की गई ऋण सीमाएँ, आकस्मिक देयताओं का

अंतरण, संभावित जमा हानियाँ, निवेश दायित्व, सांविधिक दायित्व आदि जैसे कारकों पर विचार किया जाता है. इन प्रक्षेपणों और चलनिधि मूल्यांकन को वरिष्ठ प्रबंधन को पाक्षिक आधार पर सूचित किया जाएगा, जो प्रबंधन को नकदी प्रवाह के रुझानों की निगरानी करने, संभावित मुद्दों की पहचान करने और यदि आवश्यक हो तो समय पर समायोजन करने में सहायक सिद्ध होगा. 90 दिन की अवधि के बाद, बैंक वास्तविक नकदी प्रवाह के साथ प्रक्षेपित नकदी प्रवाह की तुलना करेंगे ताकि प्रक्षेपणों की सटीकता का मूल्यांकन और यह आकलन किया जा सके कि पूर्वानुमान के दौरान की गई अवधारणाएँ उचित थीं या नहीं. इस प्रकार की तुलना के आधार पर अवधारणाओं और प्रक्षेपणों में समायोजन किया जा सकता है.

5. तुलन-पत्र से इतर के एक्सपोज़र और आकस्मिक देयताएँ

5.1 बैंकों को अपने तुलन-पत्र से इतर की गतिविधियों से पर्याप्त नकदी प्रवाह की संभावना की भी जाँच करनी चाहिए. अधिकांश तुलन-पत्र लिखतों की आकस्मिक प्रकृति तुलन-पत्र से इतर नकदी प्रवाह के प्रबंधन संबंधी समस्या को बढ़ाती है तथा दबावपूर्ण स्थिति के दौरान, तुलन-पत्र से इतर प्रतिबद्धताओं के कारण चलनिधि पर अधिक प्रभाव पड़ता है.

5.2 आकस्मिक देयताएँ, जैसे वित्तीय गारंटी या चल रहे मुकदमेबाज़ी/कानूनी मामले संभावित नकदी बहिर्वाह को बढ़ाते हैं और यह बैंक की वित्तीय स्थिति पर निर्भर नहीं है. बैंक को सामान्य परिस्थितियों में नकदी बहिर्वाह के सामान्य स्तर की जानकारी होनी चाहिए और ऐसी स्थिति के दौरान अंतर्वाह में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए.

6. संपार्श्विक स्थिति प्रबंधन

6.1 बैंक को अलग-अलग समय-सीमा में संभावित मार्जिन समायोजन सहित अपेक्षित और अनपेक्षित उधार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पास पर्याप्त संपार्श्विक रखना सुनिश्चित करना चाहिए. इसके अतिरिक्त बैंक को परिचालन और चलनिधि से संबंधित चुनौतियों पर विचार करना चाहिए जिसके

लिए अतिरिक्त संपार्श्विक के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है. बैंक में संपार्श्विक स्थिति की शीघ्र गणना करने, आवश्यक प्रतिभूति के सापेक्ष वर्तमान में गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य का आकलन करने और गिरवी रखने के लिए उपलब्ध भारमुक्त सम्पत्तियों की पहचान करने के लिए प्रभावी कार्य-प्रणाली और प्रक्रियाएँ होनी चाहिए.

7. इंट्रा-डे पोजीशन का प्रबंधन

7.1 यदि बैंक अपनी इंट्रा-डे चलनिधि का प्रबंधन करने में असमर्थ रहता है तो यह उसके अपने भुगतान और अन्य पक्षों के भुगतान पर प्रभाव डाल सकता है. बैंक के पास अपेक्षित दैनिक सकल चलनिधि अंतर्वाह-बहिर्वाह को मापने , इन प्रवाहों के इंट्रा-डे समय का अनुमान लगाने और निवल निधि की कमी का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए. प्रवाह की मजबूत निगरानी से बैंक को यह तय करने में सहायता मिलेगी कि अतिरिक्त इंट्रा-डे चलनिधि कब प्राप्त करनी है या महत्वपूर्ण भुगतान को पूरा करने के लिए किसी विशेष बहिर्वाह को कब प्रतिबंधित करना है. यह बैंकों को अपनी आवश्यकताओं और अपने ग्राहकों के लिए अपने संसाधनों को आबंटित करने में भी सहायता करेगा**.**

7.2 बैंक को केंद्रीय बैंक, अंतर-बैंक देयता, मुद्रा बाजार या अन्य स्रोतों के माध्यम से विविध स्रोतों से अपने प्रवाह के अनुरूप पर्याप्त इंट्राडे फंडिंग की व्यवस्था करने में तत्पर रहना चाहिए।

7.3 बैंक के पास इंट्राडे चलनिधि प्रवाह के समयावधि को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए. यह प्रणाली दिन में हुए अंतर्वाह और बहिर्वाह को मेल करने में सक्षम होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भुगतान विफल नहीं हुआ है. बैंक को अपने इंट्राडे चलनिधि में किसी भी अप्रत्याशित व्यवधान से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए. बैंक द्वारा किए गए इंट्राडे दबाव परीक्षण और आकस्मिक वित्तपोषण योजना में इसका उपयोग किया जाना चाहिए.

8. वित्तपोषण की रणनीति

8.1 बैंक को नियमित रूप से विभिन्न स्त्रोतों से निधि जुटाने की अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए. बैंक को अपने निधि जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करनी चाहिए

और सटीक अनुमान सुनिश्चित करने के लिए उनका विस्तृत अनुप्रवर्तन करना चाहिए. मानक चलनिधि प्रबंधन के भाग के रूप में, बैंकों को किसी एक वित्तपोषण स्त्रोत में अत्यधिक निवेश करने से बचना चाहिए. चूँकि थोक रूप से किया गया वित्तपोषण अस्थिर हो सकता है, इस श्रेणी में विविधीकरण आवश्यक है. थोक रूप से किये गए वित्तपोषण पर निर्भर रहने वाले बैंकों को खुदरा वित्तपोषण पर अधिक निर्भर रहने वालों की तुलना में भारमुक्त, अत्यधिक चलनिधि परिसंपत्तियों का उच्च अनुपात बनाए रखना चाहिए. वित्तपोषण विविधीकरण में अवधि, प्रतिपक्ष सुरक्षित के समक्ष असुरक्षित बाजार वित्तपोषण, इंस्ट्रूमेंट का प्रकार, भौगोलिक बाजार और प्रतिभूतीकरण जैसे कारकों पर रखी गई सीमाएँ भी शामिल हैं.

8.2 वरिष्ठ प्रबंधन को बैंक की परिसंपत्तियों और निधि स्रोतों की संरचना, विशेषता और विविधीकण के बारे में जानकारी होना चाहिए. वरिष्ठ प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार पहुँच को सक्रिय रूप से बनाए रखा जा रहा है और उपयुक्त कर्मचारियों द्वारा इसका अनुप्रवर्तन किया जा रहा है.

8.3 बैंक को निधि के वैकल्पिक स्त्रोतों की पहचान करने की आवश्यकता है ताकि किसी संस्था या बाजार से संबंधित चलनिधि आघातों का सामना करने की उसकी क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके. चलनिधि व्यवधान के विभिन्न कारकों के आधार पर, बैंक के संबंधित निधि स्रोतों में शामिल हो सकते हैं- जमाराशियों में वृद्धि, देयता परिपक्वता का विस्तार, केंद्रीय बैंक की मार्जिन लेंडिंग सुविधाओं से उधार लेना, भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली चल परिसंपत्तियों की बिक्री या रिपो, अंतर-बैंक उधार, प्रतिबद्ध सुविधाओं का आहरण, परिसंपत्ति प्रतिभूतीकरण, आदि.

9. दबाव परीक्षण

9.1 दबाव परीक्षण एक जोखिम प्रबंधन तकनीक है जो गंभीर लेकिन संभावित परिदृश्यों के तहत बैंक और समग्र वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का आकलन करती है. बैंक के स्तर पर, यह परीक्षण बैंक को अपने कार्य-निष्पादन पर दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को मापने में मदद करता है और वरिष्ठ प्रबंधन को व्यावसायिक रणनीति, जोखिम प्रबंधन और पूँजी प्रबंधन निर्णय लेने में सहायता करता है.

9.2 दबाव परीक्षण, बैंकों को यह आकलित करने में सक्षम बनाना चाहिए कि दबाव परिदृश्य उनकी समग्र चलनिधि को कैसे प्रभावित करते हैं, चाहे उनका संगठनात्मक ढाँचा या केंद्रीकृत चलनिधि प्रबंधन का स्तर कुछ भी हो. इन परीक्षणों का दायरा और आवृत्ति बैंक के आकार, चलनिधि जोखिम एक्सपोजर और वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत इसके महत्व के साथ संरेखित होनी चाहिए. प्रभावी दबाव परीक्षण के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है.

9.3 नाबार्ड ने दिनांक 18 दिसंबर 2023 को परिपत्र संख्या ईसी सं. 269/डॉस-40 /2023-24 (संदर्भ स. राबै. प्रका. डॉस. नीति/ 3049/ जे-1/ 2023-24) के माध्यम से दबाव परीक्षण पर बैंकों के लिए दिशानिर्देशों को जारी किया है जिसमें हमारी पर्यवेक्षित संस्थाओं की बेहतर समझ के लिए उद्देश्य, आवृत्ति, अवधारणाओं आदि के बारे में विवरण दिया गया है.

9.4 चलनिधि जोखिम दबाव परीक्षण में बहु-कारक दबाव परीक्षण शामिल होते हैं जिसमें चलनिधि अंतराल पर दबाव का मूल्यांकन निधीयन स्रोतों पर दबाव के साथ किया जाता है. किसी बैंक को पर्याप्त चलनिधि से संबंधित माना जा सकता है या नहीं, यह काफी हद तक निधीयन संकट के तहत दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है. इसलिए, सामान्य व्यावसायिक परिस्थितियों में निवल निधीयन आवश्यकताओं की निगरानी के लिए नकदी- प्रवाह प्रक्षेपणों का संचालन करने के अलावा, बैंकों को अपनी चलनिधि स्थिति पर "क्या हो अगर" परिदृश्यों के आधार पर अनुमानों का संचालन करके नियमित रूप से दबाव परीक्षण करना चाहिए:

- संभावित चलनिधि दबाव के स्रोतों की पहचान करना,
- यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान चलनिधि जोखिम एक्सपोजर, नियमों के अनुरूप बना रहे
- स्थापित चलनिधि जोखिम सह्यता
- नकदी प्रवाह, चलनिधि स्थिति, लाभप्रदता और शोधन क्षमता पर भविष्य के चलनिधि दबाव के किसी भी संभावित प्रभाव का विश्लेषण करना.

9.5 बैंक दबाव परीक्षण पर नाबार्ड के मार्गदर्शी नोट में दी गई अवधारणाओं के अलावा अतिरिक्त अवधारणाओं का प्रयोग कर सकते हैं. सभी संभावित परिदृश्य, संबंधित अवधारणाएँ और उनके परिणाम अच्छी तरह से प्रलेखित होने चाहिए. वरिष्ठ प्रबंधन को आकस्मिक योजना में संबंधित संभावित निधीयन की कमी का आकलन करने और योजना तैयार करने में दबाव परीक्षण परिदृश्यों, अवधारणाओं के साथ-साथ दबाव परीक्षणों के परिणामों की समीक्षा करनी चाहिए.

10. आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफ़पी)

10.1 बैंक के पास एक औपचारिक आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफ़पी) होनी चाहिए जो आपातकालीन स्थितियों में चलनिधि की कमी को दूर करने के लिए स्पष्ट रूप से रणनीतियों की पहचान करती हो. सीएफ़पी नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्य योजना का संकलन है ताकि बैंक द्वारा उन्हें वित्तपोषण के संबंध में आने वाली बाधाओं के लिए समय पर और उचित लागत पर तत्काल प्रतिक्रिया कि जा सके.

10.2 सीएफ़पी को बैंक की जटिलता, जोखिम प्रोफाइल, परिचालन के दायरे आदि के अनुरूप होना चाहिए. सीएफ़पी को चलनिधि को पूरा करने और व्यवधानों के दौरान नकदी प्रवाह की कमी को पूरा करने के लिए व्यवहार्य, आसानी से उपलब्ध और लागू करने योग्य संभावित वित्तपोषण उपायों के विविध सेट के संबंध में विस्तार से व्यक्त करना चाहिए. सीएफ़पी को बैंक के प्रबंधन को त्वरित, विवेकपूर्ण निर्णय लेने, आकस्मिक उपायों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने और योजना के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए स्पष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए. इसमें शामिल हैं:

- सीएफ़पी को सक्रिय करने के लिए अधिकार के साथ-साथ भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना.
- क्राइसिस टीम की स्थापना से चलनिधि संकट के दौरान आंतरिक समन्वय और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है.
- सीएफ़पी के निष्पादन के लिए जिम्मेदार टीम के सदस्यों के नाम और संपर्क जानकारी, साथ ही उनके संबंधित स्थान की जानकारी प्रदान करना.
- प्रमुख कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं हेतु वैकल्पिक व्यक्तियों को नामित करना.

10.3 बैंक के सीएफ़पी में भारतीय रिज़र्व बैंक की ऋण देने की सुविधाओं और संपार्श्विक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए. इसमें इंट्राडे आधार पर महत्वपूर्ण भुगतानों को पूरा करने के लिए निधी के संभावित स्रोतों को भी ध्यान में रखना चाहिए. सीएफ़पी को हमेशा बैंक के वित्तपोषण पर दबाव परीक्षण के परिणामों के प्रभाव पर विचार करना चाहिए और किसी भी व्यवधान के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए. सीएफ़पी को इंट्राडे आधार पर महत्वपूर्ण भुगतानों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम पर भी विचार करना चाहिए.

10.4 सीएफ़पी की प्रभावशीलता और परिचालन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा और परीक्षण किया जाना चाहिए. परीक्षण के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ उचित और स्पष्ट रूप से समझी गई हों.
- संपर्क जानकारी अद्यतन है इसकी पुष्टि करें.
- योजनाओं को अल्प सूचना में निष्पादित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं की समीक्षा.
- बैंक द्वारा अपनाई गई अवधारणाओं की समीक्षा.

11. प्रबंधन सूचना प्रणाली

11.1 बैंक के पास एक विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) होनी चाहिए जो सामान्य परिस्थितियों के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान भी निदेशक मंडल और आल्को दोनों को बैंक की चलनिधि स्थिति के बारे में समय पर और सक्रिय जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की गई हो. इसमें सभी प्रकार के चलनिधि जोखिम शामिल होने चाहिए, जिसमें नए उपक्रमों और आकस्मिक स्थितियों से संभावित जोखिम शामिल हैं, साथ ही दबाव की अवधि के दौरान अधिक विस्तृत और समय-संवेदनशील जानकारी प्रदान करने की क्षमता भी होनी चाहिए.

11.2 चलनिधि जोखिम से संबंधित रिपोर्टों में प्रबंधन के लिए पर्याप्त विवरण उपलब्ध होना चाहिए ताकि वे बाजार की गतिशीलता, इसके वित्तीय स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण जोखिम तत्वों में होने वाले परिवर्तनों के प्रति बैंक की प्रतिक्रिया का आकलन कर सकें. इन रिपोर्टों में नकदी प्रवाह पूर्वानुमान, नकदी प्रवाह में असमानताएँ, परिसंपत्ति और वित्तपोषण सांद्रता, नकदी प्रवाह प्रक्षेपणों को रेखांकित करने वाली महत्वपूर्ण अवधारणाएँ, वित्तपोषण की पहुँच, विविध विनियामक और आंतरिक चलनिधि जोखिम प्रबंधन सीमाओं का अनुपालन, दबाव परीक्षणों के परिणाम, महत्वपूर्ण प्रारंभिक चेतावनी संकेत या जोखिम मीट्रिक, बैकअप फंडिंग चैनलों की स्थिति या संपार्श्विक उपयोग, अन्य विचारों के साथ-साथ शामिल हो सकते हैं.

12. आंतरिक जाँच और नियंत्रण

12.1 बैंक को चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ-साथ चलनिधि जोखिम प्रबंधन कार्यों की प्रभावशीलता की गारंटी के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण, कार्य-प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित करनी चाहिए.

12.2 प्रबंधन पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि एक निष्पक्ष इकाई नियमित रूप से बैंक की चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के घटकों की जाँच और मूल्यांकन करती है. इन आकलनों में इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि बैंक का चलनिधि जोखिम प्रबंधन किस स्तर तक विनियामक/पर्यवेक्षी निर्देशों और इसकी आंतरिक नीतियों के अनुरूप है. स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विभिन्न दिशानिर्देशों/सीमाओं का अनुपालन न करने के उदाहरणों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है.

*****